

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.12(2)नविवि/2021

जयपुर, दिनांक: - 8 MAR 2021

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम -1959 राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन 1959 की धारा 32 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर ने राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मास्टर प्लान-2031 अनुसार "आम्बेरी आवासीय योजना" नामक योजना बनाने का निर्णय लिया है। इस योजना की सीमाएं निम्न प्रकार है :-

उत्तर	-	कृषि भूमि
दक्षिण	-	आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि
पूर्व	-	100 फीट सडक
पश्चिम	-	आम्बेरी ग्राम की आबादी

इस योजना का अनुमानित क्षेत्रफल 10.5180 हैक्टेयर है। इस योजना के क्षेत्रफल का विवरण तथा नक्शा कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर में उपलब्ध है, तथा किसी भी कार्य दिवस में सायंकाल 3:00 बजे से 5:00 बजे तक देखा जा सकता है। उक्त योजना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 6 माह तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

- १८ -

(त्रिभुवनपति)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, उदयपुर।
3. सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।
4. अध्यक्ष नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।
6. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राज पत्र के असाधारण अंक दिनांक 08.03.2020 प्रकाशित कराये जाने बाबत आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय